

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद

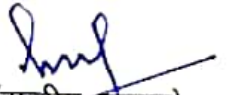
विषय:- जनपद रामपुर में तहसील मिलक के ग्राम रहपुरा की खसरा/गाटा सं० 446/1, पटवाई मिलक (अन्य जिला मार्ग-3) मार्ग के किमी० 8.709 के चैनेज 8.743 की दांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प (मैसर्स आई०ओ०सी०एल०) की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि क्षे० 0.0643हे० का गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबन्ध में।

संदर्भ:- आनलाईन प्रपोजल नं० FP/UP/OTHERS/148948/2021
महोदय,

जनपद रामपुर में तहसील मिलक के ग्राम रहपुरा की खसरा/गाटा सं० 446/1, पटवाई मिलक (अन्य जिला मार्ग-3) मार्ग के किमी० 8.709 के चैनेज 8.743 की दांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प (मैसर्स आई०ओ०सी०एल०) की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि क्षे० 0.0643हे० का गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति की आवश्यकता है।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशोधित की धारा-2 के अन्तर्गत 0.0643हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन अनुमति के भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 04 प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। इस परियोजना में इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन एवं वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को भेजने की कृपा करें।
संलग्न:- प्रस्ताव की चार प्रतियां

भवदीय


(राजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,
सा०वा०प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक - /14-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि - मुख्य वन संरक्षक रूहेलखण्ड जोन बरेली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - क्षेत्रीय वनाधिकारी मिलक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- मैसर्स आई०ओ०सी०एल० बरेली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।


(राजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सा०वा०प्रभाग, रामपुर।